

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि. प्रा. (III) य¹-01/2013-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय- विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली में आवश्यकता आधारित मशीन/उपकरण, उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 35,00,000=00 (पैंतीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली के पत्रांक-31, दिनांक 09.7.2015 द्वारा की गई मांग के आधार पर संस्थान में आवश्यकता आधारित मशीन/उपकरण, उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 35,00,000=00 (पैंतीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजना व्यय आय-व्ययक के "मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष -104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0102-पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड-पी 4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, हाजीपुर (वैशाली) से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से प्रक्रिया पालन के साथ नियमानुसार क्रय की जाने वाले मशीनें एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई मशीनें एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक तथा अनावश्यक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)

सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा. (III) य¹-01/2013- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा. (III) य¹-01/2013- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के अपर सचिव


ज्ञाप संख्या- वि. प्रा. (III) य¹-01/2013- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा. (III) य¹-01/2013- 793 /पटना, दिनांक- 16-3-016

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/3/16


सरकार के अपर सचिव

आज्ञापूर्वक